22.1.25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप.।
अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल
होकर प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1 को पर्याप्त
अवसर देने के बाद भी जवाब पेश
नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया
जाता है। प्रति. सं. 2 से 7 को रुक²
कर तीन बार आवाज दिलाई गई।
कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
प्रार्थीगण अधि. की एकपक्षीय बहस सुनी
गई। [illegible] अधिवक्ता द्वारा बहस
[illegible] के तथ्यों को दोहराते
हुये आदेश दिनांक 18.02.2019 को
मूल वाद के निस्तारण तक यथावत
रखने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का भली-भांति अवलोकन किया। बहस के तथ्यों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होना प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या साबित होने से प्रकरण में विवादित आराजी मौजा डेडवा खुर्द पटवार हल्का जाखल ख० न० 27, 28, 34, 308, 309, 314, 315, 360 रकबा क्रमशः 0.04, 1.01, 0.68, 0.84, 0.05, 0.04, 1.01, 0.84 है. जुमले रकबा 4.51 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व मामलों की बहुल्यता रोकने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:42 IST
Reason: SelfAttested

महायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner